



प्रेस नोट दिनांक -18.03.2025

थाना लहचूरा जनपद झाँसी

दहेजहत्या में शामिल आरपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय समक्ष पेश कर जेल भेजा गया

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद झाँसी के कुशल निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी मऊरानीपुर के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 18.03.2025 को थानाध्यक्ष लहचूरा पंकज कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में दौराने चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, तलाश वॉछित/वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर थाना लहचूरा में पंजीकृत मु0अ0सं0 35/2025 धारा 85/80(2) BNS व ¼ डी.पी.ए.ए. में वॉछित अभियुक्तगण 1-चरनदास पुत्र स्व: रमोले कुशवाहा उम्र करीब 45 वर्ष 2.कौशल पुत्र चरनदास कुशवाहा उम्र करीब 22 वर्ष 3.श्रीमती पिकी देवी पत्नी चरनदास कुशवाहा उम्र करीब 42 वर्ष 4.कु0 हीरा देवी पुत्री चरनदास कुशवाहा उम्र करीब 20 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम बरूआमाफ थाना लहचूरा जिला झाँसी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेजा गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16.03.2025 को वादी मुकदमा श्री लखनलाल पुत्र श्री बिहारीलाल निवासी ग्राम कोटरा थाना मऊरानीपुर झाँसी के द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार अभि0 गणो द्वारा वादी व वादिया की पुत्री से अतिरिक्त दान दहेज की माँग करना व माँग पूरी न होने पर वादिया की पुत्री पूजा उम्र करीब 20 वर्ष वादी के नाती राज उम्र करीब डेढ वर्ष को आग लगाकर मार देने के सम्बन्ध में अभियुक्तगण 1-चरनदास पुत्र स्व: रमोले कुशवाहा उम्र करीब 45 वर्ष 2.कौशल पुत्र चरनदास कुशवाहा उम्र करीब 22 वर्ष 3.श्रीमती पिकी देवी पत्नी चरनदास कुशवाहा उम्र करीब 42 वर्ष 4.कु0 हीरा देवी पुत्री चरनदास कुशवाहा उम्र करीब 20 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम बरूआमाफ थाना लहचूरा जिला झाँसी के बिरुद्ध थाना स्थानीय में मु0अ0सं0 मु0अ0सं0 35/2025 धारा 85/80(2) BNS व ¼ डी.पी.ए.ए. पंजीकृत कराया गया था।

अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहास-

- 1-चरनदास पुत्र स्व: रमोले कुशवाहा नि0ग्राम बरूआमाफ थाना लहचूरा झाँसी- मु0अ0सं0 35/2025 धारा 85/80(2) BNS व ¼ डी.पी.ए.ए. थाना लहचूरा झाँसी।
 - 2.कौशल पुत्र चरनदास कुशवाहा नि0ग्राम बरूआमाफ थाना लहचूरा झाँसी - मु0अ0सं0 35/2025 धारा 85/80(2) BNS व ¼ डी.पी.ए.ए. थाना लहचूरा झाँसी।
 - 3.श्रीमती पिकी देवी पत्नी चरनदास कुशवाहा नि0ग्राम बरूआमाफ थाना लहचूरा झाँसी-35/2025 धारा 85/80(2)BNS व ¼ डी.पी.ए.ए. थाना लहचूरा झाँसी।
 - 4.कु0 हीरा देवी पुत्री चरनदास कुशवाहा नि0ग्राम बरूआमाफ थाना लहचूरा झाँसी -मु0अ0सं0 35/2025 धारा 85/80(2) BNS व ¼ डी.पी.ए.ए. थाना लहचूरा झाँसी।
- तथा अन्य ज्ञात किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता:-

- 1-चरनदास पुत्र स्व: रमोले कुशवाहा उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम बरूआमाफ थाना लहचूरा जिला झाँसी।
- 2.कौशल पुत्र चरनदास कुशवाहा उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम बरूआमाफ थाना लहचूरा जिला झाँसी।
- 3.श्रीमती पिकी देवी पत्नी चरनदास कुशवाहा उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम बरूआमाफ थाना लहचूरा जिला झाँसी।
- 4.कु0 हीरा देवी पुत्री चरनदास कुशवाहा उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम बरूआमाफ थाना लहचूरा जिला झाँसी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

- 1.पंकज कुमार मिश्र थानाध्यक्ष लहचूरा।
- 2.उ0नि0 श्री विजयशंकर शुक्ला थाना लहचूरा जनपद झाँसी।
- 3.उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना लहचूरा जनपद झाँसी
- 4.का0 293 शरद कुमार थाना लहचूरा झाँसी
- 5.म0का0 876 राधा थाना लहचूरा जनपद झाँसी।



